

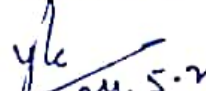
कार्यालय - प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जाले, दरभंगा।

कार्यालय आदेश

दिनांक 23.05.2025 को जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्राप्त दिशानिर्देशों के आलोक में अंकित किया जा रहा है कि महिला शिक्षिकाओं को विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो विभिन्न माध्यमों से अधोहस्ताक्षरी को मिलती रहती है। वर्तमान में T.R.E-03 में योगदान किये शिक्षिकाओं को भी कतिपय प्रधानाध्यापकों के द्वारा विशेष अवकाश स्वीकृति में समस्या उत्पन्न किया जा रहा है।

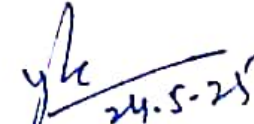
इस संबंध में प्रखंडाधीन सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि विशेष आकस्मिक अवकाश माह के किसी भी लगातार दो कार्य दिवस के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, जिसके लिए विधिवत शिक्षिका द्वारा सक्षम प्राधिकार से पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति में अन्य किसी भी तरह की व्याख्या यथा, उम्र सीमा, कार्य दिवसों के अन्तराल, इत्यादि से संबंधित विभागेतर व्याख्या न किया जाए। अन्यथा की किसी भी स्थिति एवं प्राप्त शिकायत पर अनुशासनिक कारवाई हेतु उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित किया जाएगा। जिसकी सारी जबाबदेही आपकी स्वयं की होगी।


प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
जाले, दरभंगा।

ज्ञापांक. 452कमतौल/जाले दिनांक 24.5.2025

प्रतिलिपि: प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।


प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
जाले, दरभंगा।